न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 13/2022
आरती पत्नि स्व0 मनोज जाति माली निवासी कस्बा जुरहरा तहसील कामां
प्रार्थी

बनाम

1–ग्राम पंचायत जुरहरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जुरहरा
अप्रार्थी

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 625 दिनांक 20.9.2009
वाके कस्बा जुरहरा तहसील कामां

निर्णय

दिनांक :– 28.12.2022

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 625 दिनांक 20.9.200 वाके कस्बा जुरहरा तहसील कामां का पेश कर निवेदन कि खाता संख्या 213 के सविक खसरा नम्बर 2080/0.21, 2081/0.43, 2089/0.15, 2091/0.24, 2092/0.19, 2093/0.25, 2094/0.28, 2095/0.27, 2096/0.19, 2097/0.10, 2098/0.08, 2099/0.08, 2101/0.21, 2102/0.11, 2103/0.09, 2105/0.13, 2106/0.12, 2107/0.09, 2108/0.34, 2109/0.34, 2110/0.21, 2111/0.15, 3511/2079/0.19, 3512/2079/0.19 किता–24 रकबा 4.64 हैक्टेयर व खाता संख्या 163 के खसरा नम्बर 1962/0.42, 2132/0.16, 2215/0.21, 2216/0.45, 2223/0.23,2224/0.29,2226/0.53,3513/2083/0.32,3514/2083/0.28, 3515/2084/0.14,3516/2084/2085/0.32,3517/2084/0.17,3518/2084/0.19,3519/2084 20.26,3520/2084/0.22, 3537/2231/0.43, 3726/2141/0.23, 3742/2230/0.34, 3769/2231/0.39 किता–19 रकबा 5.58 हैक्टेयर बांके कस्बा जुरहरा द्वितीय तहसील कामां में स्थित है सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 2072 खाता संख्या 163 में वर्णित खसरा नम्बर का विभाजन नामान्तरकरण संख्या 907 डिगरी दिनांक 13.03.2014 से राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है। जिसमे अपीलान्ट के परिवार को किता–6 रकबा 1.30 का निस्फ हिस्सा आया जिसके हाल खसरा नम्बर 22/0.17, 23/0.19, 24/0.26, 25/0.11, 26/0.08, 27/0.03, 32/0.32, 33/0.14 किता–8 रकबा 1.30 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 213 सविक खसरा नम्बरान का नया खाता संख्या 186 बना है जिसके हाल खसरा नम्बर 10/0.21, 11/0.19, 12/0.19, 13/0.27, 14/0.10, 15/0.19, 16/0.25, 17/0.28, 18/0.43, 36/0.24, 37/0.19, 38/0.08, 39/0.08, 41/0.21, 42/0.09, 43/0.10, 44/0.01, 45/0.15, 48/0.15, 50/0.21, 51/0.13, 52/0.12, 53/0.09, 54/0.34, 84/0.34 किता–25 रकबा 4.64 हैक्टेयर बांके कस्बा जुरहरा द्वितीय है । आराजी मुतनाजा अपीलान्ट के ससुर मंगल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी जुरहरा तहसील कामां के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी अपीलान्ट का सजरा निम्न प्रकार है । प्रेम पत्नी मगल, नानक पुत्र मंगल, वन्तो पुत्री मंगल, पप्पी पुत्र मंगल, मनोज, बन्टी पुत्री मंगल है। अपीलान्ट मृतक मनोज की पत्नि है तथा मृतक मंगल अपीलान्ट का ससुर है मृतक मंगल के सजरा के मुताबिक वारिसान है तथा आराजी मुतदाविया पर मंगल के वारिसान अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा हिस्से के अनुसार सभी शांति पूर्वक कब्जा व काश्त है। अपीलान्ट के पति मनोज का स्वर्गवास दिनांक 30.07.2020 को हो चुका है। अपील के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

मृतक मंगल का देहान्त के बाद अपीलाधीन नामान्तरकरण का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हुआ तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 625 को हल्का पटवारी द्वारा सहवन भूल से मनोज के स्थान पर मुकेश का नाम दर्ज कर दिया था तथा ग्राम पंचायत जुरहरा ने दिनांक 20.09.2009 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 625 को मुताबिक हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नामों को ही बिना जांच किये हुए मनोज के स्थान पर मुकेश का नाम दर्ज को ही तस्दीक कर दिया था जबकि मुकेश नाम का कोई भी वारिस मंगल का नहीं है तथा उसके स्थान पर मनोज का नाम दर्ज होना चाहिए था उक्त नामान्तरकरण संख्या 625 ग्राम पंचायत जुरहरा दिनांक 20.09.2009 निम्न कारणों से अवैध व गैरकानूनी व शून्य है। ग्राम पंचायत जुरहरा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 625 तस्दीक करते समय मंगल मृतक के सभी वारिसानों की जांच किये बिना अवलोकन नहीं किया इस कारण उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में रेसपोन्डेन्ट संख्या 1 ने भारी कानूनी भूल की है।नामान्तरकरण को तस्दीक करते समय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मृतक मंगल के कानूनी सभी वारिसानों को कोई नोटिस नहीं दिया तथा किसी भी प्रकार की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण में बिना अपीलान्ट के पति मनोज का नाम नहीं होते हुए भी नामान्तरकरण को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने गैर जिम्मेदाराना व कानूनी भूल की है जिसके कारण नामान्तरकरण संख्या 625 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट मृतक मनोज की पत्नि है तथा मुकेश नाम का कोई भी मृतक मंगल का वारिस नहीं है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 625 में मुकेश के स्थान पर मनोज का नाम दर्ज होना चाहिए जिससे मनोज की विरासत राजस्व रिकॉर्ड में उसके वारिसान के नाम दर्ज हो सके।

अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 625 के बारे में पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट को दिनांक 31.03.2022 को अपीलान्ट के परिवार वालों ने घर से निकाल दिया और कहा कि तेरा यहां पर कुछ भी नहीं है हमने तेरे पति मनोज के स्थान पर अपने पिता मंगल की विरासत में मनोज का नाम दर्ज नहीं कराया था तेरा जमीन में कोई भी हक नहीं है। इसके बाद मैं अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास में कई बार गई परन्तु मुझे पटवारी हल्का नहीं मिले दिनांक 12.04.2022 को पटवारी हल्का जुरहरा मुझे मिले मैंने अपने पति मनोज की विरासत के लिए पटवारी हल्का से कहा पटवारी हल्का ने अपने रिकॉर्ड को देखकर बताया कि तुम्हारे पति के नाम से कोई भी कृषि भूमि नहीं है। इसमें तो मुकेश के नाम कृषि भूमि है तब मुझे उक्त नामान्तरकरण संख्या 625 के बारे में जानकारी हुई। इससे पूर्व मुझ अपीलान्ट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी अपील नामान्तरकरण बिना किसी देरी के पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैकि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 625 दिनाक 20.9.2009 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय ग्राम पंचायत जुरहरा को निरस्त कर मुकेश के स्थान पर मनोज का नाम नामान्तकरण संख्या 625 में दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गई । अपीलान्ट वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में अपीलान्ट अधिवक्ता अपीलान्ट के पति का नाम मनोज के स्थान पर मुकेश के नाम का दाखिल खारिज कर दिया है जबकि मुकेश के नाम का कोई मंगल अपीलान्ट के ससुर का कोई वारिस

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

ी नहीं है जबकि अपीलान्ट के पति का नाम मनोज है । जो मंगल का वारिस है । अतः मुकेश के स्थान पर मनोज के नाम दाखिल दर्ज किया जावे ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी अपील को साबित करने के लिए नकल नामान्तकरण संख्या 625 दिनाक 2019/2009 नकल जमाबन्दी स02069 लगा02072 , नकल जमाबन्दी हाल सं0 2074–2077 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र मनोज फोटो आधार कार्ड सलग्न की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा अपीलान्ट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 625 दिनांक 20.9.2009 वाके कस्बा जुरहरा तहसील कामां को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि पुनः जांच कर नियमानुसार मंगल के वारिसान का नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करें । प्रकरण को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे । वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)